



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 1986/आषाढ़ 2, 1908
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 1986/ASADHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

मंत्रीमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1986

का. आ. 374(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड
(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन)
नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते
हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन)
(एक सौ पचासीवां) संशोधन नियम, 1986 है।
- (2) ये तुरन्त प्रभावी होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, दूसरी अनुसूची
में,—
 - (i) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्ष के अधीन "स्वा-
स्थ्य विभाग" उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 12 के स्थान पर
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"12. अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम";
 - (ii) "उद्योग मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "घ. सरकारी उद्यम
विभाग" उपशीर्ष के नीचे,—
(क) प्रविष्टि 25 को लोप किया जाएगा;

(ख) प्रविष्टि 57 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी
जाएगी, अर्थात्:—

"58. बिज एण्ड रफ कम्पनी";

(iii) "श्रम मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 40 के पश्चात् निम्न-
लिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:

"41. सिने कर्मकार और सिने थिएटर कर्मकारों
के कार्यालयों की दशा और कल्याण से संबंधित विधि
का प्रशासन";

(iv) "संसदीय कार्य मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 4 के स्थान
पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों
और समूहों के नेताओं और सचेतकों के साथ
सम्पर्क";

(v) "परिवहन मंत्रालय" शीर्ष के अधीन "ग. जल-भूतल परिवहन
विभाग" उप शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 37 के पश्चात्, निम्न-
लिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"38. हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि."

जैल सिंह

राष्ट्रपति

[प्रलेख सं. सी.डी.—437/86सं. 74/2/1/86 मंत्रि०]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi the 23rd June, 1986

S.O. 374(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighty fifth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule.—

(i) under the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF HEALTH (SWASTHYA VIBHAG)”, for entry 12, the following entry shall be substituted, namely :—

“12. International Health Regulations.” ;

(ii) under the heading “MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)”, under the sub-heading “D. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (SARKARI UDYAM VIBHAG)”,—

(a) entry 25 shall be omitted.

(b) after entry 56, the following entry shall be added, namely :—

“57. Bridge and Roof Company.” ;

(iii) under the heading “MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)”, after entry 40, the following entry shall be added, namely :—

“41. Administration of laws relating to the working conditions and welfare of cinema workers and cinema theatre workers.” ;

(iv) under the heading “MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADHYA KARYA MANTRALAYA)”, for entry 4, the following entry shall be substituted, namely :—

“4. Liaison with Leaders and Whips of various Parties and Groups represented in Parliament.” ;

(v) under the heading “MINISTRY OF TRANSPORT (PARIWAHAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (JAL-BHOOTAL PARIWAHAN VIBHAG)”, after entry 37, the following entry shall be added, namely :—

“38. Hooghly Dock and Port Engineers Ltd.”.

ZAIL SINGH

President

[DOC No. CD-437/86—No. 74/2/1/86-Cab]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.